

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह  
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/रॉंची/हजारीबाग/  
मुख्य अभियंता (यॉ०)/अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन  
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

रॉंची, दिनांक : ०५/०५/१९

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।


महाशय,


वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 07-मध्यम सिंचाई परियोजना	8222.400

कुल आवंटित राशि - रुपये बेरासी करोड़ बाईस लाख चालीस हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट उपबंध राशि ₹ 11206.80 लाख (एक सौ बारह करोड़ छः लाख अस्सी हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98,1800 (वि.) दि.15.07.2003,1362 दि० 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।


  
(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

  
(रमेश कुमार दूबे)  
विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014.-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
11. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यापन कर दिया जाय। राशि का प्रत्यापन **Online** किया जाय। साथ ही इकाईवार पूर्ण प्रत्यापन प्रतिवेदन हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke/Surrender No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनानुदेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट ( <http://www.wrdjharkhand.nic.in> ) पर भी उपलब्ध है।  
अनु. :- यथोक्त


ज्ञापांक :- 07  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनूराँची/कोषागार पदाधिकारी,  
राँची/डोरंडा/देवघर/गुमला/चाईबासा/खूँटी/सिमडेगा/दुमका/साहेबगंज/गोड्डा/हजारीबाग/जामताड़ा/राजमह  
ल/मधुपुर/पाकुड़/जमशेदपुर/सरायकेला-खरसावा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
अनु. :- यथोक्त


  
(अरुण कुमार सिंह) 4-4-19


अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 07  
प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित  
उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य  
अभियंता(मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पांच प्रति/कार्यपालक अभियंता,  
योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/अपर  
मुख्य सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल  
संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनु. :- यथोक्त

  
(राजेंद्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

  
(रमेश कुमार दूबे)  
विशेष सचिव

  
(अरुण कुमार सिंह) 4-4-19

अपर मुख्य सचिव

  
(अरुण कुमार सिंह) 4-4-19  
अपर मुख्य सचिव

भाग संख्या-49-जल संसाधन विभाग  
 मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक  
 लघु शीर्ष-001-विदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना

पत्रांक 02 दिनांक 05/02/19

मसिंह 1

क्र. सं.	विवरण	विस्तार शीर्ष-01-वेदन एवं नर्स										विस्तार शीर्ष-02-शानि वार				विस्तार शीर्ष-03-महावाणिज्यिक वार				विस्तार शीर्ष-04-महावाणिज्यिक वार		कुल योग	अभिवृत्ति
		वेदन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	पुनर्देयता	देवीय भाग	कार्यालय	विस्तार	आपूर्ति एवं	सूचना	वर्दी	विस्तार	मोटरसाइकिल	मोटरसाइकिल	मोटरसाइकिल	मोटरसाइकिल	मोटरसाइकिल	मोटरसाइकिल	मोटरसाइकिल	मोटरसाइकिल				
1	मुख्य शीर्ष, अग्नि योजना, शीर्ष	22.00	0.00	0.00	0.30	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30	15	16		
2	मुख्य अग्नि योजना योजना	120.00	0.00	0.00	0.30	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.30				
3	मुख्य अग्नि योजना योजना	158.00	0.00	0.00	0.30	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.30				
4	मुख्य शीर्ष अग्नि योजना, शीर्ष	28.00	0.00	0.00	0.20	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.20				
5	अग्नि योजना अग्नि योजना	6.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90				
6	अग्नि योजना अग्नि योजना	17.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90				
7	अग्नि योजना अग्नि योजना	75.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.95				
8	अग्नि योजना अग्नि योजना	147.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.95				
9	अग्नि योजना अग्नि योजना	72.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.95				
10	अग्नि योजना अग्नि योजना	180.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.95				
11	अग्नि योजना अग्नि योजना	110.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.95				
12	अग्नि योजना अग्नि योजना	129.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.95				
13	अग्नि योजना अग्नि योजना	92.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.95				
14	अग्नि योजना अग्नि योजना	180.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.95				
15	अग्नि योजना अग्नि योजना	68.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.70				
16	अग्नि योजना अग्नि योजना	82.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.95				
17	अग्नि योजना अग्नि योजना	53.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.95				
18	अग्नि योजना अग्नि योजना	16.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75				
19	अग्नि योजना अग्नि योजना	30.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.25				
20	अग्नि योजना अग्नि योजना	110.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.50				
21	अग्नि योजना अग्नि योजना	39.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.75				

(संलग्न प्रसाद)  
उप सचिव (अग्नि)

(संलग्न प्रसाद)  
विशेष सचिव

(संलग्न प्रसाद)  
अपर मुख्य सचिव

4-4-15

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष 2019-2020	वित्तु शीर्ष-01-वेतन एवं नती										वित्तु शीर्ष-02-प्राथमिक व्यय				वित्तु शीर्ष-04-वेतन एवं नती		वित्तु शीर्ष-07-वेतन एवं नती		राशि लागू करणें में	अभियुक्ति
		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतन	एकलिंगीयता	दोतीय भाग	कार्यभार	विभागाध्यक्ष	कार्यभार	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	गोपनीयता	वेतन एवं नती	वेतन एवं नती	कुल राशि	अभियुक्ति					
1	अंतर्गत मूल नियंत्रण एवं नती प्रबंधन, देवघर	194.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	184.75							
22	महा पत्र नगर प्रबंधन, कांडीबाबा	191.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	191.80							
23	मूल नियंत्रण प्रबंधन, संचो	215.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	215.75							
24	अलाय प्रबंधन, खूँटी	280.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	280.80							
25	अलाय प्रबंधन, गुमना	192.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	192.50							
26	अलाय प्रबंधन, गुमना	165.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	165.50							
27	अलाय प्रबंधन संचो-1, चक्रवर्तु	162.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	162.50							
28	अलाय प्रबंधन संचो-1, चक्रवर्तु	165.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	165.50							
29	अलाय प्रबंधन संचो-1, चक्रवर्तु	128.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	128.50							
30	अलाय प्रबंधन संचो-1, चक्रवर्तु	238.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	238.75							
31	अलाय प्रबंधन संचो-1, चक्रवर्तु	57.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.45							
32	अलाय प्रबंधन संचो-1, चक्रवर्तु	108.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	108.80							
33	अलाय प्रबंधन संचो-1, चक्रवर्तु	194.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	194.80							
34	अलाय प्रबंधन संचो-1, चक्रवर्तु	245.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	245.50							
35	अलाय प्रबंधन संचो-1, चक्रवर्तु	116.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.25							
36	अलाय प्रबंधन संचो-1, चक्रवर्तु	132.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.45							
37	अलाय प्रबंधन संचो-1, चक्रवर्तु	397.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	397.50							
38	अलाय प्रबंधन संचो-1, चक्रवर्तु	69.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.45							
39	अलाय प्रबंधन संचो-1, चक्रवर्तु	163.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	163.80							
40	अलाय प्रबंधन संचो-1, चक्रवर्तु	132.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.75							
41	अलाय प्रबंधन संचो-1, चक्रवर्तु	110.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	110.80							
42	अलाय प्रबंधन संचो-1, चक्रवर्तु																				

(राजेश प्रसाद)  
उप सचिव (अति.)

(राजेश कुमार दूबे)  
विशेष सचिव

(अरुण कुमार सिंह)  
उप मुख्या सचिव

07/04/19

05/04/19

4-4-19

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2019-2020	वित्तीय वर्ष-01-वेतन एवं भत्ते					वित्तीय वर्ष-02-प्राथमिक भत्ता					वित्तीय वर्ष-03-प्रशासनिक भत्ता					वित्तीय वर्ष-04-संवर्धन भत्ता	वित्तीय वर्ष-07-अन्य भत्ता	प्रति मास कुल भत्ता	अनुमानित
		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतनांक	एस्टिमेटेड	वर्गीय भाग	वर्गीय भाग	कार्यालय भत्ता	विवरण	अनुमानित	सुधार	वर्दी	वित्तीय	वर्गीय	वर्गीय	वर्गीय					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
43	विशेष सु-अवर्तन पराग मन्थन विभाग प्रशासकीय, सुपरी	128.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	128.75						
44	विशेष सु-अवर्तन पराग, संशोधन	202.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	202.80						
45	विशेष प्रवर्तन, कुलवित्त	174.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.45						
47	विशेष प्रवर्तन, गौडका, शोध-संशोधन	128.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.45						
48	विशेष प्रवर्तन, जल-संशोधन	203.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	203.80						
49	विशेष प्रवर्तन, पापराज	180.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.45						
50	विशेष प्रवर्तन, सुपरी	240.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	240.50						
51	विशेष प्रवर्तन, देवघर	256.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	256.75						
52	विशेष प्रवर्तन, गौडका	115.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	116.50						
53	विशेष प्रवर्तन, गौडका	112.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50						
54	विशेष प्रवर्तन, वरुण	115.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.45						
55	विशेष प्रवर्तन, विज्ञान	156.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.45						
56	विशेष प्रवर्तन, सं-1, गौडका	119.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.45						
57	विशेष प्रवर्तन, सं-2, जगन्नाथ	162.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.45						
58	विशेष प्रवर्तन, सं-2, विज्ञान	130.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	130.80						
59	विशेष प्राथमिक प्रवर्तन, देवघर	220.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	220.80						
60	विशेष प्राथमिक प्रवर्तन, संशोधन	193.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	193.80						
	आवृत्त का योग	8180.00	0.00	0.00	11.30	16.05	0.00	0.00	2.05	0.00	0.00	13.00	0.00	8222.40						

(सचिव प्रसार)   
 जय सचिव(संशोधन)

*[Handwritten Signature]*

आवृत्त का योग -

सभी श्रेणियों के लिए कुल योग का योग

(सचिव प्रसार)   
 जय सचिव

*[Handwritten Signature]*

(सचिव प्रसार)   
 जय सचिव

*[Handwritten Signature]*

07/05/19

4-4-19